न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
896 / 2024

दायर दिनांक
25.10.2024

निर्णय दिनांक
01-07-2025

1. श्री दुर्गेश कुमार पारीक पिता लक्ष्मीलाल पारीक निवासी उदयलियास माफी, सठेपा, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थी

बनाम

1. लोकेश कुमार पुत्र शंकरलाल पारीक, निवासी खजूरी तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. देवी पुत्र रामनारायण कंजर निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
3. नन्दा पुत्र रामनारायण कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
4. नोजी पत्नी शिवडिया कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
5. बिरमा पुत्र बंशी कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
6. बरजिया पुत्र बंशी कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
7. हाबुडिया पुत्र बंशी कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
8. फूलचन्द पुत्र बंशी कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
9. भवंर पुत्र रामघन्या कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
10. जगदीश पुत्र रामघन्या कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
11. चन्दीया पुत्र रामघन्या कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
12. बरमदिया पुत्र रामघन्या कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
13. भवंर पुत्र श्री रामघनिया कंजर, निवासी उदयलियास माफी पोस्ट सुठेपा तहसील कोटडी जिला शाहपुरा
14. राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार, बडलियास (राज)।

—— विपक्षीगण

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी श्री दीपक चतुर्वेदी उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की ग्राम उदलियास माफी, पटवार हल्का सुठेपा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या नया 139 व पुराना खाता संख्या 203 में वर्णित खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0. 4213 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.9723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.4476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.0371 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2161 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 5.7580 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

अतः नायब तहसीलदार बडलियास को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम उदलियास माफी, पटवार हल्का सुठेपा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बडलियास तहसील कोटडी जिला शाहपुरा के जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की खाता संख्या नया 139 व पुराना खाता संख्या 203 में वर्णित खसरा नम्बर 13 रकबा 0.8750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 15 रकबा 0.4213 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 16 रकबा 0.9723 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 175 रकबा 1. 4476 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 1.0371 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.7562 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2161 हैक्टेयर कुल किता 08 कुल रकबा 5.7580 हैक्टेयर स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु नायब तहसीलदार बडलियास को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। नायब तहसीलदार बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 01-07-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा